



संख्या : 2137/जी0एस0(शिक्षा)/A11-57/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 20 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240108114845 दिनांक 31.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल को बी0ए0 एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृति सीटों की संख्या	नवीन अस्थायी सम्बद्धता की अवधि।
1	2	3	4	5
01	भारत सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	<b>बी0ए0</b> (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र)	60 सीट प्रति विषय	2024-25
		<b>बी0एससी0</b> (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	60 सीट प्रति विषय	
		<b>बी0एससी0</b> (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व

विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

- महाविद्यालय को स्थापित हुए 16 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी मानकानुसार अपूर्ण है। विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय में भवन एवं फैकल्टी अपूर्ण होने का कारण, पृथक से पत्र प्रेषित करते हुए स्पष्ट करें
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

**Signed by Ravinath Raman**

भवदीय,

**Date: 15-08-2024 15:47:17**

( रविनाथ रामन )

कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 2137/जी0एस0(शिक्षा)/A11-57/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।